985-I/2001 न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म॰प्र॰)

श्री रामभरोस अभि॰ द्वारा आज दि॰ 1-6-2001 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म॰ प्र॰ ग्वालियर

1 JUN 2001

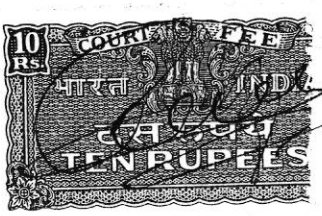

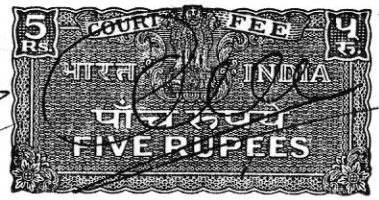

जकली देवी विधवा पत्नी श्री उदयभान सिंह वगैरह सा॰ महसाव तह॰ गुढ़, जिला रीवा म॰ प्र॰ --------

अनावेदक तेज भान सिंह फौत दिनांक 2·1·2007 के

वैध वारिसान

(1) सूर्य प्रताप सिंह आयु - 70 वर्ष
(2) मंगलेश्वर सिंह आयु - 67 वर्ष — पुत्रगण स्वं॰ तेजभान सिंह
(3) विजय बहादुर आयु - 60 वर्ष

निवासीगण ग्राम महसांव, तहसील- गुढ़, जिला- रीवा (म॰प्र॰)

(4) श्रीमती मनराजू पत्नी कृष्णपाल सिंह पुत्री तेजभान सिंह आयु - 60 वर्ष, पेशा- ग्रहकार्य निवासी - ग्राम - मरहा, तहसील- हुजूर, जिला- रीवा (म॰प्र॰)

(5) श्रीमती दिलराजू कुमारी पत्नी गेंदराज सिंह पुत्री स्वं॰ तेजभान सिंह आयु -57 वर्ष, पेशा- ग्रहकार्य निवासी- ग्राम फूल, तहसील- मऊगंज, जिला- रीवा (म॰प्र॰)

ण
। कृषि,
ताप सिंह
सिंह नि॰ ग्राम
थ सिंह
रण सिंह,
व, तह॰ गुढ़,

जिला रीवा म॰प्र॰

7- वृजेन्द्र सिंह तनय कृष्णपाल सिंह नि॰ ग्राम महसाव, तह॰ गुढ़, जिला रीवा म॰प्र॰

8- जय सिंह उम्र 10 वर्ष नाबालिग वली लक्ष्मण सिंह तनय इन्द्रपाल सिंह नि॰ ग्राम महसाव, तह॰ गुढ़, जिला रीवा म॰प्र॰

9- मान सिंह उम्र 10 वर्ष पिता महेन्द्र सिंह वली माधवी बाई, निवासी ग्राम महसावं, तह॰ गुढ़, जिला रीवा म॰प्र॰

10- श्रीमती माधवी बाई उम्र 35 वर्ष पिता जुगराज सिंह पति महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम महसाव, तह॰ गुढ़, जिला रीवाम॰प्र॰

11- श्री राकेश कुमार चतुर्वेदी नि॰ ग्राम महसावं पिता छोटेलाल, तह॰ गुढ़, जिला रीवा म॰ प्र॰

क्रमशः/2/-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 985–एक/01 **जिला** –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
10.02.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0 एस0 चौहान उपस्थित। अनावेदक–1 के वारिसान की ओर से श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक 2, 3 पूर्व से एक पक्षीय है। अनावेदक 9, 10 के अधिवक्ता पूर्व से अनुपस्थित। आवेदक कमांक–2 महेन्द्रसिंह स्वयं उपस्थित। अनावेदक–1 के वारिसान श्री मंगलेश्वर सिंह तथा विजय बहादुर सिंह स्वयं उपस्थित। जयकली आवेदक कमांक–1 के पुत्र आवेदक कमांक–2 महेन्द्रसिंह द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण आपसी समझौता हो गया है इसलिये प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते है, प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त किया जावे । अतः उभयपक्ष के अधिवक्तागण तथा उभयपक्षगण का निवेदन स्वीकार किया जाता है । प्रकरण नोटप्रेस में समाप्त किया जाता है । प्रकरण दाखिला दर्ज हो। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे । सदस्य	